(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 12 / 2023

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ

(सायल)

बनाम

जितेन्द्र उम्र 27 वर्ष पुत्र राधेश्याम माली निवासी बी.एस.एन.एल. टॉवर के पीछे बमोरी अन्ता जिला बाराँ

(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)

2– अनुपस्थित (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 06.11.2023

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल जितेन्द्र पुत्र राधेश्याम जाति माली निवासी बी.एस.एन.एल. टॉवर के पीछे बमोरी अन्ता जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिला बाराँ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना अन्ता जिला बाराँ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। गैरसायल जुआ एक्ट, धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम के अपराधों का आदि है। इसके विरूद्व पुलिस थाना अन्ता में वर्ष 2016 से वर्ष 2022 तक कुल 10 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(8) एवं धारा 9 / 11 धुम्रपान प्रतिषेध अधिनियम(2) के तहत दर्ज हुए है। उक्त समस्त प्रकरणो में से 07 प्रकरणों मे गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है और 03 प्रकरण पेडिंग कोर्ट है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को कुल 07 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावें। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश दिये गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 04.04.2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल को जरिये सम्मन क्रमांक 688 दिनांक 24.07.2023 से तलब किया गया जो बावजूद सूचना के अनुस्थित रहने पर उसको जरिये सम्मन क्रमांक 996 दिनांक 09.10.2023 से सूचित किया गया कि प्रकरण मे आगामी नियत पेशी दिनांक 06.11.2023 को आप स्वयं आवश्यक रूप से इस न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे अन्यथा प्रकरण मे सरकार पक्ष को ही सुना जाकर अंतिम निर्णय पारित कर दिया जावेगा। इस पर भी गैरसायल के बावजूद सूचना के इस न्यायालय मे अनुपस्थित रहने पर प्रकरण मे सरकार पक्ष अभियोजन अधिकारी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:21:23 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना अन्ता में वर्ष 2016 से वर्ष 2022 तक कुल 10 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (8) अन्तर्गत धारा 9/11 धुम्रपान प्रतिषेध अधिनियम (2) के तहत दर्ज हुए है। उक्त प्रकरणो में से 07 प्रकरणो मे गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है ओर 03 प्रकरण पेडिंग कोर्ट है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

प्रकरण मे अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना अन्ता में वर्ष 2016 से वर्ष 2022 तक कुल 10 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (8) अन्तर्गत धारा 9/11 धुम्रपान प्रतिषेध अधिनियम (2) के तहत दर्ज हुए है। उक्त प्रकरणो में से 07 प्रकरणो मे गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि जितेन्द्र पुत्र राधेश्याम माली निवासी बी.एस.एन.एल. टॉवर के पीछे बमोरी अन्ता जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को 07 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल जितेन्द्र पुत्र राधेश्याम माली निवासी बी.एस.एन.एल. टॉवर के पीछे बमोरी अन्ता जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र, अन्ता जिला बारॉं से 01 माह के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूॅ।

गैरसायल जितेन्द्र पुत्र राधेश्याम माली निवासी बी.एस.एन.एल. टॉवर के पीछे बमोरी अन्ता जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना क्षेत्र अन्ता जिला बारॉ से 01 माह के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, सीमलिया जिला कोटा को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 22.11.2023 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सीमलिया जिला कोटा को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिला बारॉ को तहरीर दी जावे जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना अन्ता जिला बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना सीमलिया जिला कोटा के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **06.11.2023** को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:21:23 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ